

प्रेषक,

अध्यक्ष

प्रबन्ध समिति

हीवेट पालीटेक्निक,

महानगर, लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमती फातिमा यासमीन पत्नी श्री एस0 एम0 हसन

पता- 23/110, न्यू प्रकाश लोक विस्तार,

निकट आमपाली चौराहा, हीलर्स अस्पताल के पीछे,

इन्दिरा नगर, लखनऊ, उ0 प्र0- 226016

पत्रांक-एच0पी0/2018-19/नियुक्ति/प्रवक्ता(विद्युत इंजी0)/1133 लखनऊ दिनांक-15/06/19

विषय:-विज्ञापन संख्या-एक/2015-16 दिनांक- 15.04.2016 के क्रम में प्रवक्ता- विद्युत इंजी0 पद पर नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

महोदया,

संबंधित विज्ञापित पदों के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका सं0-47797/2016 प्रवीन कुमार व अन्य में पारित निर्णय के परिपेक्ष्य में आपके आवेदन पत्र दिनांक-05.05.2016 एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0 कानपुर के पत्र पृ0सं0:-11170/इ-35-एक्स-नियुक्ति कानपुर दिनांक:-15.07.2016 द्वारा गठित चयन समिति की बैठक दिनांक- 30.09.2016 की संस्तुति के परिपेक्ष्य में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उ0 प्र0 कानपुर के पत्रांक:-10296-97/इ-35-एक्स-अनुमोदन-हीवेट कानपुर दिनांक:-08.06.2019 द्वारा आपके चयन हेतु प्राप्त अनुमोदन के क्रम में आपकी नियुक्ति प्रवक्ता विद्युत इंजी0 के पद पर पे-बैंड रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जाती है:-

1. यह कि आपकी नियुक्ति प्रवक्ता विद्युत इंजी0 के पद पर पे-बैंड रु0 15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0 5,400/- में प्रारम्भिक मूल वेतन पर अस्थाई रूप से की जाती है।
2. यह की राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त पालीटेक्निकों हेतु स्वीकृत मंहगाई भत्ता, आवास भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्ते आपको देय होंगे।
3. यह की आपकी नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं प्रथमतः दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर की जाती है। यदि इस अवधि में आपका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा तो आपकी नियुक्ति नियमित की जा सकती है।
4. यह की आपको सौंपे गये कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमास की जायेगी।
5. यह की आपको सौंपे गये कार्य के अतिरिक्त संस्था हित में संस्था प्रसारण द्वारा पद के अनुरूप अन्य कार्य भी सौंपे जा सकते हैं जिसके लिये आपको कोई आपत्ति न होगी तथा जिसके लिये आपको कोई अतिरिक्त भत्ता देय न होगा।
6. परिवीक्षाकाल में आपकी सेवारत बिना कोई कारण बताये एक माह की नोटिस के अथवा एक मास का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

Page 1 of 2

7. आपकी सेवाई संपन्न प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों हेतु लागू सेवाविधम एवं राज्य सरकार द्वारा संपन्न प्राप्त कर्मचारियों हेतु समय-समय पर घोषित नियमों द्वारा संवर्धित होंगे।
8. यह की आप संस्था में अनुशासित रहकर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी तथा प्रयत्न के साथ करेंगे।
9. कार्य दिवस में संस्था कार्यकाल में, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर, संस्था में रुका होगा।
10. यह की आपको राज्य सरकार द्वारा दिये तथा सेवा विनियमावली 1996 एवं समय-समय पर उच्च संबंधित के प्राविधानानुसार आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा उचित अवकाश आदि अनुमत्त होंगे।
11. यह की आप द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व ठी सम्मानित व्यक्तियों (राज पदित अधिकारी/जन प्रतिनिधियों तथा सांसद/विधायक आदि) द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/राजपदित चिकित्सक द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. आप द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण-पत्रों में यदि कोई असत्यता पायी जाती है, तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
13. आपको स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाता है कि आपकी नियुक्ति पूर्णतयः मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है।
14. यदि भविष्य में संबंधित विज्ञापित पदों के संबंध में मा0 न्यायालय का कोई भी निर्णय प्राप्त होता है तो वह निर्णय आपकी नियुक्ति के संबंध में प्रभावी होगा।

यदि आप उपरोक्त शर्तों/शर्तियों में सहमत हैं तो आपकी सहमति के साथ विलम्बतम दिनांक-30.06.2019 तक कार्यभार ग्रहण कर ले। निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि आप इस पद पर सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं।

(डा0 यू0सी0 बाजपेयी)  
 प्रधानाचार्य  
 हीरोट पालीटेक्निक, महानगर  
 तखनऊ-6

S. Jithane  
 (डा0 एस0 अन्धाना)  
 अध्यक्ष  
 प्रबन्ध समिति,  
 हीरोट पालीटेक्निक, तखनऊ

पू0सं0- एच0पी0/2018-19/नियुक्ति/प्रवक्ता(विद्युत इंजी0)/

तखनऊ दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30 प्र0, कानपुर।
2. वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, 30 प्र0, कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा (म0क्षे0), तखनऊ।
4. वेतन लिपिक।
5. व्यक्तिगत पत्रावली।

(डा0 यू0सी0 बाजपेयी)  
 प्रधानाचार्य